कार्यवाही विवरण

श्री शम्भू दयाल मिश्रा (भैंसो डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल–4.83 हेक्टेयर, डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,52,377 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय बाबत् दिनांक 29.11.2021 समय 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भैसों के हाईस्कूल परिसर '' केशव कुंज मैदान'' (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम–भैसों, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री शम्भू दयाल मिश्रा (भैंसो डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल–4.83 हेक्टेयर, डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,52,377 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 28.10.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली मुख्य संस्करण में दिनांक 28.10.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 29.11.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भैसों के हाईस्कूल परिसर, ''केशव कुंज मैदान'' (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम–भैसों, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत भैसों, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29.11.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भैसों के हाईस्कूल परिसर, ''केशव कुंज मैदान'' (धान खरीदी केन्द्र), ग्राम–भैसों, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लीना कोसम, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. शेखर उपाध्याय, पर्यावरण कंसलटेंट. अपलिंका सालुशन टेक्नॉलाजी प्रा0 लि0, नोयडा (उ.प्र.) के द्वारा श्री शम्भू दयाल मिश्रा (भैंसो डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री शैलेन्द साहू, व्यास नगर** :– पास में क्रेशर खुलेगा। इसमें बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा अच्छी बात है।

2. **श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप, ग्राम–भैंसो** :– डोलोमाईट कंपनी यहां लग रहा है। इसमें हमें बहुत खुशी हो रहा है। लेकिन हमारे ग्राम भैंसों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाये। तभी हम लोग इसमें खुशी व्यक्त करेंगे।

3. **श्री चंदराम, ग्राम–डूमरपाली भैंसो** :–हम सब किसान वर्ग के है। ग्राम भैंसो में क्रेशर संचालन पर रोक लगाये जाने तथा अवैध खनन पर समस्त ग्रामवासियों का आपत्ति होने बाबत्। महोदय समस्त ग्रामवासी भैसों द्वारा नवीन क्रेशर उद्योग के स्थापित किये जाने को लेकर दिनांक 26.11.2021 को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई होना था लेकिन ग्राम कोटवार भैसो द्वारा क्रेशर उद्योग के लिए भैसो द्वारा क्रेशर उद्योग के लिए मुनादी नहीं किया गया। यह कि ग्राम भैसों में बेशकिमती डोलोमाईट पत्थर है जिसका सर्वे केन्द्रीय शासन द्वारा सन् 1980 में सर्वे कर संरक्षित रखा है। ग्राम भैसों का डोलोमाईट पत्थर पूरे एशिया महाद्वीप में नं. 01 का है ऐसी हालत में क्रेशर उद्योग के द्वारा बेशकिमती पत्थर का दोहन किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह कि क्रेशर उद्योग से आस–पास के किसानों का खेत लगा हुआ है। पत्थर के डस्ट से फसल बर्बाद होने से इंकार नहीं किया जा सकता। सभी किसान आक्रोशित है बारूद उपयोग होने से ग्राम में प्रदूषण फैलेगा मकान क्षतिग्रस्त होगा बच्चे एवं बुजुर्गो के शरीर व दिमाग में गलत प्रभाव पडेगा तथा ब्लास्ट से पत्थर से चोट पहुचेगा। यह कि ग्राम भैसों पूरे जिले में अतिसंवेदनशील ग्राम है यदि ग्रामवासियों के आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता है तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। यह कि जिस जगह पर क्रेशर उद्योग के लिए चिन्हांकित किया गया है व गौचर भूमि है पशुधन के चारागाह पर किसी भी हालत में क्रेशर लगाने हेतु अनुमति नहीं दिया जा सकता। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि समस्त ग्रामवासियों के आपत्ति पर विचार कर क्रेशर उद्योग लगाने हेतु अनुमति नहीं दिये जाने की दया हो।

4. **श्री केशव धीवर, ग्राम–भैंसो** :– मैं क्रेशर खुलेने के विरोध में पक्ष में, बोलना चाहता हूॅ। यहां अगर क्रेशर खुला तो यहां का गाय के चराने के लिए जमीन है वो पर्याप्त नहीं हो पायेगा और इससे जो डस्ट उडेगा इसका भी प्रभाव बुजुर्गो व बच्चों पर पड़ेगा।

5. **श्री राजकुमार बंजारे, ग्राम भैंसो** :–मेरा खुद का ये है कि न खुले। इसके खुलने से बहुत सारी प्रॉबलम है। जैसे कि हमर गांव के जमीन है, अगर खुलही तो हमर

गरवा कहां चरही, आउ बहुत एक्सीडेंट होही, ब्लास्टिंग होही, बड़े–बड़े पत्थर मन गिरही, जो चाहत हन कि मत खुले। आउ सभी अधिकारी मन ला रिकवेस्ट करथन, हाथ जोड के निवेदन है कि ऐला उपर पहुचावा कि हमर गांव के कौनो किसान नहीं चाहत है कि ये खुले। रिक्वेस्ट है कि मत खुलवाओ ऐला।

6. **श्री आकाश सिंह, ग्राम पंचायत भैसों सरपंच** :–मैं आप सब को अपने ग्रामवासियों को बताना चाहूंगा कि ये जो 1652/1 में जो ये क्रेशर खुल रहा है। उसके लिए 12 एकड़ जमीन जो 2017 से प्रस्तावित थी। वो जमीन आज यहां जन सुनवाई के बाद में स्वीकृति होगी। तो इसमें हमारे ग्रामवासियों को और मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिखती। अगर ब्लास्टिंग की बात की जाये तो नई पद्धति से ब्लास्टिंग होती है। जिसमें साईलेंट ब्लास्टिंग होती है। जिसमें न तो पत्थर उडती है और न धूल डस्ट की व्यवस्था अभी सर बताये है कि सरकारी व्यवस्था पर्यावरण विभाग के द्वारा मै अपना समर्थन का पक्ष रख रहा हूँ। मेरे ग्राम पंचायत के तरफ से किसी प्रकार कि कोई आब्जेक्शन नहीं है, न कोई परेशानी है। इसमें हमारे गांव के विकास मे भी गौण खनिज फंड आयेगा जिसमें गांव के विकास के लिए हमें सहायता मिलेगी और हम गांव को आगे बढाने के लिए भी काम आयेगी। जैसे कि सर लोग बताये कि इसमें 130 व्यक्तियों को यहां रोजगार मुहैया होगा कि खदान के चलते, क्रेशर के चलते। कम से कम 130 युवा बेरोजगारो को रोजगार मिल जायेगी और ये डोलोमाईट क्वारी जांजगीर–चांपा छत्तीसगढ़ स्थित 1652/1 का कुल क्षेत्रफल 4.83 हेक्टेयर, क्षमता–2,52,377 टन/वर्ष पर्यावरण हेतु लोक सुनवाई रखी गई है। अतः हमारे ग्रामवासी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पूरे ग्रामवासियो का साईन करके दिया है। इसका नाम भी लेना चाहूँगा। ग्रामवासी को आपत्ति दर्ज नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत को ये क्रेशर खुलता है तो ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

7. **श्री संतोष सिंह ग्राम भैंसो** :–गांव के लोग दस्तखत नहीं किये है और न कराया गया है और न मुनादी नहीं हुआ है। 90 प्रतिशत खेत है। गांव वासी कहां से बता पायेंगे। सब विरोध कर रहे है। चारागाह नहीं हे। बंजर जमीन बचा है। मैं स्वयं खुद विरोध कर रहा है।

8. **श्री सतीश लहरे, ग्राम–भैंसा** :– साहब मैं पढ़े लिखे नई हव। मोर तीन ठीन बेटा हवय ठीक हे। 30 बाई 25 के जमीन मा रहथव मैं। तीन लड़का हे। एक लड़का कॉलेज करथे, एक झन 12 वी. पढत हे। एक झन 11 वीं। अगर भैसो में जमीन मिल जाएही। जमीन नहीं हे। भैंसो में जमीन मिलही तो मोर लईका क्या कर सकही। सरकार के जमीन रही तो मोर बेटा जाकर बसही। जगह मा अपन लईका ला पोसही। अगर जमीन ही नहीं रही तो मोर लईका क्या करही। ऐकर उपाय आप मन बताहा मैं ज्यादा नई गोठिया सकव। फूल समर्थन हे मोर लईका वहां घर बनाही।

9. **श्री आदित्य सिंह, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने का घोर विरोध करता हूॅ। क्रेशर नहीं खुलना चाहिए। हमारी आसपास में जमीन है बहुत प्रभावित होगा। यहां क्रेशर नहीं खुलना चाहिए। अधिकारियों से निवेदन है।

10. **श्री हरिशंकर बंजारे, ग्राम–भैंसो** :–यहां क्रेशर नहीं खुलना चाहिए। गांव को ज्यादा नुकसानी है। गौचर जमीन नहीं है क्रेशर खुले के। पूरा किसान के सब जमीन लगे हे। क्रेशर चले मा पूरा हानि है।

11. **श्री शिवदास पलिका, उपसरपंच ग्राम–भैंसो** :–हमारे गांव में 12 एकड भूमि में क्रेशर खदान खुलता है तो हमारे ग्राम वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे युवा बेरोजगार भाईयों को रोजगार मिलेगा। हमारे ग्राम पंचायत भैंसो को गौण खनिज का फंड मिलेगा, जिससे हमारे गांव का विकास आगे की ओर बढेगी। क्रेशर खुल जाने में हमें या हमारे समस्त ग्रामवासियों को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं हैं।

12. **श्री कृष्ण कुमार सिंह, ग्राम–भैंसों** :–मेरे विचार से क्रेशर खुलने में ग्राम को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। गांव के विकास के लिए सब प्रयास है। इसे पूर्व सरपंच ने 04 साल पूर्व ही आबंटित कर दिया था। सभी जगह से सभी विभाग से उनको एनओसी मिल चुका है। अब जाकर के ऐसा नहीं लगता गांव किसी प्रकार से क्रेशर खुल जाने से कोई हानि है। चूंकि गांव के अंतिम छोर पर बसा हुआ है, गांव और खेती में किसी धूल, मिट्टी या ब्लास्टिंग से गांव की बस्ती बहुत दूर है। किसी प्रकार क्रेशर खुलने में आपत्ति नहीं है। क्रेशर खुल जाने से गांव की

विकास होगी। गौण खनिज की राशि पंचायत फंड में आयेगी। गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुझे लगता है गांव में क्रेशर खुल जाना चाहिए।

13. **<u>श्री कुलदीप सिंह वैश्य, ग्राम–भैंसों</u>** :–मुझे लगता है क्रेशर खुलने से गांव में किसी भी प्रकार की ज्यादा संकट उत्पन्न नहीं होने वाली है। औद्योगिक विकास होगा। सभी को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस योजना से गांव के लोगों के बेरोजगार लोगों को राजेगार मिल पायेगा। औद्योगिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों में होने की संभावना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस क्रेशर के खुलने का समर्थन करता हूॅ।

14. **श्री अजय सिंह क्षत्रीय** :–हमारी निजी जमीन को बहुत नुकसान होगी, क्षति होगी। जैसे सरपंच साहब बोला कि गांव के किसी लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सब गांव वालो को आपत्ति है। इसलिए क्रेशर नहीं खुलना चाहिए।

15. **<u>श्री रघुवीर सिंह, ग्राम–भैंसों</u>** :–मुझे विरोध है क्रेशर खुलने का, सरपंच बोल रहे थे यहां 130 लोगों को काम मिलेगा। वर्धा में जिसका जमीन है उसको काम नहीं मिल रहा हे। यहां कहां काम मिलेगो भैसों में, तो कुछ काम नहीं मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूॅ भैंसों में क्रेशर नहीं खुलना चाहिए।

16. **<u>श्री दिलीप दिनकर, ग्राम–डूमरपाली, ग्राम–भैंसो</u>** :– मेरा पूरा जमीन भैंसो में ही है। डॉक्टर जी पहले बात किया है कि ये कंडीशन होगा, वो कंडीशन होगा। सभी चीज बहुत बढ़िया है। उसमें केवल और केवल जो है वो नागरिकों को काम देने के लिए वो बात अलग हुई। प्लस उसमें लिखा गया है दिनांक 22.03.2018 से उस बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये जो सब हो गया। हरेक पक्ष रखा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा रखा। जैसे पर्यावरण के लिए, जल के लिए, रोड लाईन के लिए। लेकिन हमारी जो निजी जमीन है हमारे जो घर उजड रहे है। जिसके लिए दिनांक 22.03.2018 से खोल चुके है। उसी तरह से सबसे पहले हम सभी लोगों का व्यवस्था करा जाये, उसके बाद फिर खनन किया जाये। मेरा यही निवेदन रहेगा हमेशा के लिए। उसमें लिखित रूप में भी दिया जाये। लिखित रूप में उसको 50 साल का कांट्रेक्ट है। उसी तरह 50 साल का कांट्रेक्ट दिया जाये। इसमें 130 व्यक्ति उसमें प्रत्येक घर से एक नागरिक का 50 साल का एग्रीमेंट

होना चाहिए। लिखित रूप में अगर किसी का दुर्घटना होता है व दुर्घटनावश उसके व उसके बच्चे को ये सब अनुदान राशि दिया जाये।

17. **श्री महेन्द्र पाल रात्रे ग्राम–भैंसों** :–क्रेशर खुलने से मेरे को काई आपत्ति नहीं है। जो भी गरीब आदमी है उसको काम मिलेगा।

18. **श्री शांति लाल बंजारे, ग्राम–भैंसो** :–मेरा जमीन आवास नहीं है यहॉ पर मैं आपत्ति लगा रहा हूॅ । मेरे पास प्राफिट नहीं है। मैं आपत्ति लगा रहा हूॅ। गांव में क्रेशर खुलने की बात है क्रेशर नही खुलना चाहिए। मै व्यक्तिगत आपत्ति लगा रहा हूॅ।

19. **श्री विरेन्द्र श्रीवास, ग्राम–भैंसो** :–मैं क्रेशर खुलने का विरोध करता हूॅ। क्योकि यहां गौचर भूमि नहीं है। गाय का चराने का जगह नहीं है। क्रेशर खुलने से बहुत सारा विरोध उत्पन्न हो रहा है। विरोध होगा तो इससे गांव में अशांति फैलेगी। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूॅ क्रेशर खुलने का और बहुत सारा चीज है क्रेशर खुलने से आम जनता को भी नुकसान होने वाला है। इससे चूंकि डस्ट फैलेगा और जो जमीन है वहां पर जिनका भी जमीन है। उनके पास फसल नहीं हो पायेगा। क्योंकि वहां पर क्रेशर खुलेगा। क्रेशर खुलने से आदमी को रोजगार मिलेगा बोल रहे है और यहां आसपास में कितना सारा क्रेशर खुला है कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। बाहरी आदमी आकर यहां रोजगार पा रहा है ग्रामवासियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बगल में ही एक क्रेशर है हम लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। आये दिन चोरी की घटना हो रही है और भी कुछ घटना हो रहा है। क्रेशर खुलने से मेरे को विरोध है। मैं इसका विरोध करता हूॅ।

20. **श्री सुनित यादव, ग्राम–भैंसों** :–इस क्रेशर खुलने से मेरा पूरा समर्थन है।

21. **श्री संतोष कुमार पाण्डेय, ग्राम–भैंसों** :– क्रेशर खुलने में, मैं समर्थन करता हूॅ।

22. **श्री काशीराम केंवट, ग्राम–भैंसों** :– समर्थन है। पूरा।

23. **श्री लखू कश्यप, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने में मेरा समर्थन है।

24. **श्री किसुन यादव, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने में मेरा समर्थन नहीं है।

25. **श्री ओंकार प्रसाद कैवर्त, ग्राम–भैंसो** :– क्रेशर खुलने से हमारा पूरा समर्थन है। प्लस मेरा आपसे एक रिकवेस्ट है। जैसे हम लोग देखते है कि कंपनी खुलने से लोकल मुद्दा रहता है। क्षेत्रीय लोग जो पढ़े लिखे रहते है। उनको रोजगार या जॉब नहीं मिलता है और बाहरी जो आते है उससे कम क्वालीफीकेशन उनको ज्यादा पैसा मिलता है और लोकल लोगों को बैठाया जाता है। ये सब ग्रामीण समस्या है। हम लोग नरियरा में केएसके पॉवर प्लांट में जाते है। क्षेत्रीय मुद्दा रहता है जो वहां पर लोकल को उससे भी ज्यादा क्वालीफीकेशन रहता है उसको उसका पद नहीं मिलता है। ये ज्याद गंभीर समस्या है। पर्यावरण का समस्या है। पर्यावरण जैसे आसपास में जो खेत है। उसके फसल में भी नुकसान होता है। समर्थन है पूरा।

26. **श्री अनुज यादव, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलना चाहिए। भाई

27. **श्री कमल प्रसाद कश्यप, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने में आपत्ति नहीं है। बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ भी मिलना चाहिए। ओला लिख के आप मन ही देव।

28. **श्री अमृत लाल लहरे, पंच ग्राम–भैंसों** :–क्रेशर खुलना चाहिए। 22 लोग है हम पंच, सरपंच प्रतिनिधि करके उनको पहले प्राथमिकता रोजगार और रोजी–रोटी के लिए चाहिए। हम तो भट्ठा जाते है भाई इलाहाबाद यदि रोकना, खोलना है तो इसी मुद्दा से खोलिये। नई तो बंद कर दीजीये।

29. **श्री श्रीधर पटेल, वार्ड नं. 05, ग्राम–भैंसो** :–मुझे क्रेशर खुलने व माइंस खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

30. **श्री फिरत राम साहू, वार्ड क्रं. 09 ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने से कोई आपत्ति नहीं है।

31. **श्री फदालू, ग्राम–भैंसो** :– क्रेशर खुलना चाहिए।

32. **श्री पंकज कुमार साहू, ग्राम–भैंसो** :– क्रेशर खुले में कोई आपत्ति नहीं है।

33. **श्री पंकज सिंह, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

34. **श्री ठाकुर प्रलव सिंह, ग्राम–भैंसो** :– क्रेशर खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

35. **श्री जानकी प्रसाद साहू, ग्राम–भैंसो** :–मुझे क्रेशर खुलने से कोई विरोध नहीं है। समर्थन है। क्रेशर खुलना चाहिए। युवा लोगों को काम में रखना चाहिए।

36. **श्री सदाराम दिनकर, ग्राम–डूमरपाली** :–मेरे को क्रेशर व डोलोमाईट खुलने से बहुत भारी आपत्ति है। क्योंकि मैं इसका कारण आपको विस्तार से बता देता हूॅ। अगर समय देना चाहेंगे तो। क्रेशर एवं डोलोमाईट खुलने से यहां की भू–जल की स्त्रोत परिवर्तित हो जाती है। पहली बात यहां जो बडी–बड़ी ब्लास्टिंग होती है। इसे भू जल से भयानक बह जाता है और दूसरा कहना है जहां ब्लास्टिंग होता है जो भी मकान बना है। कच्चा बना है पक्का बना है उसमें दरार आने लगा है। अभी भी यहां क्रेशर खुला है। वहां ब्लास्टिंग होती है। उसे आसपास की गांव में भैंसो, डूमरपाली, मदनपुर, झूलन ये सभी आसपास के गांव में बहुत प्रभावित करती है ये जो ब्लास्टिंग है मकान की और पहली बात यहां प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या होती है। यहां ब्लास्टिंग से बहुत धूल होता है। गिट्टी जो बनाता है क्रेशर से उसे आये दिन बहता रहता है। उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता है। शासन का प्रशासन का। यहां पर जो दरार होता है आसपास के क्षेत्र में होता है। उसमें पानी रूकने की क्षमता बहुत कम रहती है। पत्थर के धूल आसपास की जमीन में जाते है। वो पत्थर के रूप में मिट्टी को कड़ा कर देता है। इस प्रकार से डोलोमाईट व क्रेशर खोलने से यहां की बहुत भारी समस्या और बहुत भारी जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप देख लिजीए यहां दो क्रेशर लगा है उससे ब्लास्टिंग होती है तो जिसमें आसपास के गांव में झूलन है ब्लास्टिंग से दरार आ रहा है। कहते है तो मैं प्रमाण दे सकता हूॅ और आने जाने की इतनी परेशानी होती है न तो शासन एक पैसा लगा के रोड़ को बनाता है, न तो क्रेशर मालिक है वो रोड़ को बनाता है। आप लोग देख लिजिऐ क्रेशर खुला है। उसको भी मैं विरोध करता हूॅ। उसको भी बंद किया

जाये। यहां पूर्व में 90–91 में चल रहा था क्रेशर भैंसो में वहां की जमीन की कितनी नुकसान हुई है। इसकी भरपाई करना कोई नई कर पायेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है उस जमीन को वहां पर न तो चारागाह है न तो कोई रह सकता है। इस प्रकार से यहां पर क्रेशर व डोलोमाईट नहीं खुलना चाहिए। मेरा ये एक प्रस्ताव है।

37. **श्री सुरेन्द्र यादव, ग्राम–भैंसो** :–मुझे क्रेशर खुलने में कोई आपत्ति नहीं है।

38. **श्री छतराम केवट, ग्राम–भैसो** :–यहां क्रेशर खुलना चाहिए।

39. **श्री रामकुमारपटेल–ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है यहां पर जो भी आपत्ति कर रहे है केवल बेजा कब्जा वाले ही कर रहे है।

40. **श्री दिल कुमार बहना, ग्राम–भैंसो** :–यहां काम मिलही तो खुलये, नही ंतो मत खुलये।

41. **श्री लीलाराम डहरिया, ग्राम–भैंसों** :–क्रेशर खुलने से गांव में आपत्ति है। यहां पर बहुत परेशानी है धूल प्रदूषण बहुत है।

42. **श्री अग्निसिंह, ग्राम–भैंसों** :– लईका मन के पढाई में डिस्टब होही। ध्वनि प्रदूषण होही। नई खुलना चाहिए।

43. **श्री शनतनू लहर ग्राम–भैंसो** :–ये तो सब के फायदा है। काम ला खुले देवा। विपक्ष बोलना चाहिए।

44. **श्री विशाल लहरे, ग्राम–भैंसो** :–पूरा भैंसों मा क्रेशर खुलना चाहिए। क्रेशर खुलही तो हमला कोई आपत्ति नहीं है।

45. **श्री विकास बंजारे, ग्राम–भैंसो** :–भैंसों मा क्रेशर खुले मा कोई आपत्ति नहीं है।

46. **श्री धनराज रात्रे, ग्राम–भैंसो** :–खुलना चाहिए।

47. **श्री हरिश लहरे, ग्राम–भैंसो** :–भैंसों मा क्रेशर खुलना चाहिए।

48. **श्री सुखराम दिनकर, ग्राम–भैंसो** :–हमला बहुत नुकसान दायक है। अभी जा के मौका मा जा के देखा जाये। जो भी घर कुरिया बने हवय ओमा दरार आ गये है। जब अभी मदनपुर, भाटा मा क्रेशर खुले हे ब्लास्टिंग के झनक यहां तक आथें। कोई हार्ड अटैक से मर जाही। ये ब्लास्टिंग हे, भूकम्प आ गये क्या। जतको किसान है छोटे–बड़े किसान भाई लोग से पूछ सकत है। पानी के जो स्त्रोत है अभी तक गर्मी के मौसम मा अभी नहर माम त दे। तो पानी पीये बर जनता मन तरस जायही। भलो जितना आदमी बोला जाये कि खुला जाये। हम मन पानी पीये बर तरसो व अभी भी तरस रहे है। खेत के धूल जितना भी मदनपुर, भादा से आत हवय धान अभी होना नुकसान हवय। ये सब चीज मा नुकसान जावत हवय। खोलत हे बढिया करत हे। हमन जतका हवय मदनपुर, भैंसो, डूमरपाली, सेवरिया है अतका आदमी मन ला उमन रखही क्या ? काम करे बर जिये खाये बर। तो हम मन नई सकन।

49. **श्री निकेत लहरे, ग्राम–भैंसो** :–क्रेशर खुलना चाहिए।

50. **श्री अरविंद लहरे, ग्राम–भैंसो** :–यहां पर क्रेशर खुलना चाहिए।

51. **श्री नंद कुमार गौरहा, ग्राम–भैसो** :–उद्योग, उद्योग है उससे रसायनिक निकलते। क्रेशर खुलत है प्रति एकड 30–30 लाख देही। स्वास्थ पर अस्पताल खोलही व स्कूल खोलही ये काम कर देवय।

52. **श्री सम्मत लहरे,** :–क्रेशर की बात है कोई आपत्ति नहीं दिख रहा है मेरे नजर में और सभी को अच्छा लग रहा है। इसमें गरीब को अमीर को छोटे–बडे को कोई नुकसान नहीं है। यहां क्रेशर खुलने की अनुमति दी जाये।

53. **श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम–भैंसों** :–क्रेशर खुलन में मेरे कोई आपत्ति नहीं है।

54. **श्री सुमेन केवट, ग्राम–भैंसों** :– क्रेशर खुलन से कोई आपत्ति नहीं है।

55. **श्री जितेन्द्र कश्यप मदनपुर, ग्राम–भैंसो** :– ये जो क्रेशर खुलत हे मैं अनापत्ति लगा थव। क्रेशर नहीं खुलना चाहिए।

56. **श्री जवाहर यादव, ग्राम पंचायत भैंसों** :–क्रेशर जो खुलही ओमा बहुत घोर आपत्ति है। ऐमा कई प्रकार के नुकसान है। ध्वनि प्रदूषण होही। पढाईया लिखईया मन बहुत कन नुकसान होही। पढाई उखर डिस्टब होही। इसमें धूल डस्ट ब्लास्टिंग, ध्वनि प्रदूषण ये सब होही। आसपास के किसान भाई मन के खुद के पट्टाधारी किसान के खेत मा धान नई हो पावत है। बहुत समस्या है आसपास के जो भाईजी मन बोली। पानी के स्त्रोत एकदम नीचे चल देही। पानी के लिए भी परेशानी होही, गांव के व्यक्ति मन ला। ये सारा परेशानी है। पिछले 26 तारीख के मै तो बोली ही चूके हव। बस मैं ये ही कहत हव ये क्रेशर खोले के घोर विरोध करत हव।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:10 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. शेखर उपाध्याय, पर्यावरण कंसलटेंट. अपलिंका सालुशन टेक्नॉलाजी प्रा0 लि0, नोयडा (उ.प्र.) श्री शम्भू दयाल मिश्रा (भैंसो डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 1:50 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 04 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका –टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 56 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 75 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 44 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)